"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 अगस्त 2018 — श्रावण 15, शक 1940

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–05/आठ–परि./2018. — मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम 240 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"240–क. दुर्घटना कारित करने वाले मोटरयान को मुक्त करने पर प्रतिबंध–

(1) कोई भी न्यायालय, ऐसी किसी दुर्घटना कारित करने वाले मोटरयान, जिससे किसी की मृत्यु या शारीरिक क्षति हुई हो अथवा सम्पत्ति को नुकसान हुआ हो, यदि ऐसा यान तृतीय पक्ष की जोखिम के विरूद्ध बीमे द्वारा आच्छादित न हो अथवा यदि वाहन का पंजीकृत स्वामी, जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के द्वारा मांगे जाने के बाद भी ऐसी बीमा पॉलिसी की प्रति उपलब्ध कराने में असफल रहता हो, को तब तक मुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि पंजीकृत स्वामी, इस प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उत्पन्न दावा प्रकरण में मुआवजे, जो कि प्रदान किया जाना संभाव्य है, के भुगतान हेतु, न्यायालय को संतुष्ट करते हुए, पर्याप्त प्रतिभूति उपलब्ध नहीं करा देता।

(2) जहाँ ऐसा मोटरयान, तृतीय पक्ष की जोखिम के विरूद्ध बीमा पॉलिसी द्वारा आच्छादित नहीं है अथवा जब मोटरयान का पंजीकृत स्वामी, उप–नियम (1) में उल्लिखित परिस्थितियों के अनुसार, ऐसी पॉलिसी की प्रति उपलब्ध कराने में असफल रहता है, तो उस मोटरयान को, उस क्षेत्र, जहाँ दुर्घटना हुई हो, पर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा, जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के मोटरयान को कब्जे में लेने के तीन माह के अवसान पर, सार्वजनिक नीलामी कर बिक्री कर दी जायेगी तथा उससे प्राप्त राशि को प्रश्नगत (दुर्घटनागत) क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले दावा अधिकरण के पास मुआवजे की राशि, जो कि इस प्रकार की दुर्घटना से उत्पन्न दावा प्रकरण में प्रदान की जा सकती हो अथवा प्रदान की जाये, के भुगतान के प्रयोजन के लिये पंद्रह दिवस के भीतर, जमा कर दी जायेगी।

(3) दावा अधिकरण, दावा प्रकरण में अंतिम निर्धारण के अनुसार मुआवजे के भुगतान के उपरांत उप–नियम (2) के अनुसार वाहन की सार्वजनिक नीलामी से प्राप्त राशि में से, उक्त वाहन हेतु परिवहन विभाग को देय राशि की कटौती करने के उपरांत, शेष राशि वाहन के पंजीकृत स्वामी को वापस कर देगा, किन्तु उक्त राशि पर वाहन के पंजीकृत स्वामी को कोई ब्याज देय नहीं होगा। परिवहन विभाग को देय राशि, दावा अधिकरण द्वारा परिवहन विभाग को प्रेषित कर दी जायेगी।

(4) जांच करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा वाहन को अभिरक्षा में लेने की तिथि से, वाहन को सार्वजनिक नीलामी किए जाने की तिथि तक, वाहन पर कोई टैक्स/ब्याज/शास्ति उद्ग्रहित नहीं की जायेगी।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 3rd August 2018

NOTIFICATION

No. F-5-05/VIII/Trans./2018. — In exercise of the powers conferred by Section 176 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

After rule 240, the following shall be inserted, namely-

"240-A. Prohibition on release of motor vehicle causing accident-

(1) No court shall release a motor vehicle causing an accident resulting in death or bodily injury or damage to property, if such vehicle is not covered by a policy of insurance against third party risks or if the registered owner fails to furnish copy of such insurance policy despite demand by investigating police officer, unless and until the registered owner furnishes sufficient security to the satisfaction of the court, to pay compensation that is likely to be awarded in a claim case arising out of such accident.

(2) Where the motor vehicle is not covered by a policy of insurance against third party risks, or when registered owner of the motor vehicle fails to furnish a copy of such policy as per the condition mentioned in sub-rule (1), the motor vehicle shall be sold off in a public auction by the magistrate having jurisdiction over the area where the accident occurred, on expiry of three months of the vehicle being taken in possession by the investigating police officer, and proceeds thereof shall be deposited with the Claims Tribunal having jurisdiction over the area in question, within fifteen days for the purpose of paying the amount of compensation that may have been awarded, or may be awarded in a claim case arising out of such accident.

(3) The Claims Tribunal shall return the balance amount from the amount obtained by the public auction of the vehicle as per sub-rule (2) after paying the compensation finally decided in the claims case and after deducting the amount due to the transport department on account of the

said vehicle, to the registered vehicle owner, but no interest shall be payable to the registered vehicle owner on said amount. The amount due to the transport department shall be sent to the transport department by the Claims Tribunal.

(4) No Tax/Interest/Penalty shall be leviable on the vehicle from the date of taking into custody by the investigating police officer till the date of public auction of the vehicle."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.